भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 480

मंगलवार, 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में औद्योगिक विकास

480. श्री अजय कुमार मंडलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कोई विशेष योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार (भागलपुर सहित) में स्थापित प्रमुख उद्योगों और प्राप्त निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष पहल की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक वित्तीय सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या क्या है; और

(घ) क्या सरकार बिहार में व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने, औद्योगिक गलियारों को विकसित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कोई नई योजना प्रस्तावित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): उद्योग राज्य का विषय है। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित उद्योगों के विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, केंद्र सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ को कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) आदि जो देशभर में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना को सुगम बनाते हैं।

बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार के सिंगल विंडो पोर्टल पर लगभग 1248 नए निवेश प्रस्तावों को प्रथम चरण की मंजूरी मिल चुकी है। वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कार्यरत इकाइयों की कुल संख्या क्रमशः 108, 145 और 9 है। भागलपुर जिले में, लगभग 1045 करोड़ रुपये की 92 नई परियोजनाओं को बिहार के सिंगल विंडो पोर्टल पर प्रथम चरण की मंजूरी मिल चुकी है।

विशेष रूप से, एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना (पीएमवी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यम पंजीकरण, प्रौद्योगिकी केंद्र एवं विस्तार केंद्र (टीसीईसी), और रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस (आरएएमपी) सहित कई स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है।

इसके अलावा, बिहार सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बीआईआईपीपी), 2025 को अधिसूचित किया है, जो 31.03.2026 तक वैध है और इसमें एमएसएमई के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के अंतर्गत गया में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास को भी अनुमोदित किया है, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) का एक हिस्सा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त, 2024 में इस परियोजना को अनुमोदित किया था, जिसका कुल परिव्यय 1339.02 करोड़ रुपए (भूमि लागत सहित) है।

ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इन पहलों का उद्देश्य व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बी-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास और व्यवसायों एवं नागरिकों पर अनुपालन बोझ कम करना और विनियमन की लागत के मापन सहित व्यावसायिक विनियमों को सरल और सुव्यवस्थित करना है। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के तहत, विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कम करने में सहायता की जाती है। इसका लक्ष्य चार प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाना है: प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कानूनों का युक्तिकरण, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और गौण अपराधों को गैर-अपराधीकृत करना। अनुपालन बोझ को कम करने के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई पर नज़र रखने के लिए विनियामक अनुपालन (आरसी) पोर्टल तैयार किया गया है।

*****